विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्षों, केंद्राध्यक्षों एवं निदेशकों से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय के परिनिमन की धारा 14 (1) (K) जो नीचे दर्शाया गया है, के अंतर्गत विद्या-परिषद में विद्यार्थी प्रतिनिधियों को नामित करने के लिए अपने विभाग/केंद्र के स्नातकोत्तर तथा शोधाधीकरण वर्ग के एक-एक विद्यार्थी प्रतिनिधि के नाम दिनांक 18.10.2018 तक अकादमिक विभाग की प्राधिकारिक के आधार पर उपलब्ध कराने का कार्य करें।

**Statute 14 (1) (K)**: Two students representatives, to be nominated by the Vice-Chancellor on merit basis, one from among the Research Scholars and the other from the post graduate students from the various School/Departments of the University, on rotation basis.

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्णय किया जाता है।

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. प्रतिकुलपति कार्यालय।
3. कुलसचिव कार्यालय।
4. सभी विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/प्रभारी।
5. लोक प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
6. संबंधित फाइल